5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — Rs.5 INDIA FIVE RUPEES — निरस्त

254

निगरानी 1334-I-15

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश.

निगरानी प्रकरण क्रं. :- सन् 2015

श्रीमती रामरती सिंह बेवा जानकी सिंह (मृत)
शोभा सिंह पिता जानकी सिंह ठाकुर निवासी
ग्राम सोलप तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. .. निगरानीकर्ता.

बनाम

म.प्र. शासन. .. उत्तरार्थी

कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर, म.प्र.
वस्तुतकर्ता का नाम: रघुनाथ सिंह
750 छतरपुर
साख्य का नाम
दिनांक 27.3.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959.

निगरानी विरुद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के निग.प्र.क्रं. 199/स्व.प्रे.निग./2012-13 आलोच्य आदेश दिनांक 23.03.2015 म.प्र.शासन बनाम रामरती में पारित आलोच्य आदेश से दुखित होकर ।

क्रमांक 5504
रजिस्टर्ड पोस्ट ... आज
दिनांक ... को प्राप्त

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित सादर विनयकरता है:-

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 2280/1, 2280/2, 2134, 2124, 2112, 2113, 478/1, 2178, 2180, रकबा क्रमशः 0.069, 0.045, 0.324, 0.563, 0.097, 0.340, 0.223, 0.138, 0.036, 0.073, कुल किता 10 कुल एकत्र रकबा 1.888 हेक्टयर स्थित मौजा सोलप तहसील गौरिहार की उक्त भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज रही है. निगरानीकर्ता की माँ रामरती सिंह उक्त म.प्र.शासन की भूमि पर वर्ष 1984 से काबिज रहकर काश्तकारी करती रही तत्पश्चात् निगरानीकर्ता की माँ रामरती ने वर्ष 1988में उक्त भूमि पर वर्ष 1984 से पूर्व कब्जेदार होकर काश्तकारी करने से भूमिस्वामी के लिये नायब तहसीलदार गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. के यहाँ आवेदन किया जिसमें योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गौरिहार ने विधिवत् कार्यवाही कर इश्तहार जारी कर प्र.क्रं. 252/अ-19(4)/87-88 पर दर्ज कर दिनांक 04.01.1988 को

..2

निग०- 1334-ए/15 (छतरपुर)

24.10.16

आवेदक को सूचना दी गई

आवेदक [illegible] अधि० उप०

प्रकरण आज आदेश हेतु है। आवेदक की

ओर [illegible] [illegible] अधि० उपस्थित

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible]

(हस्ताक्षर)

R 2/11

[कृ. प. उ.